16

समाहरणालय, नवादा

नवादा–805110

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

आदेश

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक–896 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा ***140वीं हेलेन केलर जयन्ती (27 जून, 2020) के अवसर पर*** राज्य निवासी दिव्यांजनों एवं उससे जुड़े व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी अधिकारीगण व अन्य के साथ *विविध ऑनलाईन मीडिया साधन यथा– विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप्प आदि के माध्यमों से वर्चुअल ई–जन जागरूकता–सह–ई–संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगजनों को* उनके अधिकारों के संरक्षण, उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं, अपने समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाईन लोक अदालत के माध्यम से समाधान एवं आगामी बिहार विधान सभा चुनाव, 2020 में मतदान का अधिकार के संबंध में जागरूक किये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त क्रम में दिनांक 27.06.2020 को ***140वीं हेलेन केलर जयन्ती के अवसर पर*** दिव्यांगजनों के साथ ई–संवाद के माध्यम से हेलेन केलर जयन्ती के थीम ***"शत–प्रतिशत दिव्यांगजन करें अपने मताधिकार का प्रयोग (सरल, सुगम, समावेशी एवं बाधा रहित मतदान) एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रदत्त अधिकार (सुरक्षा, संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी एवं प्रोडक्टिव सीटीजन) मिले बिहार के हर दिव्यांगजनों के द्वार–द्वार"*** के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी निम्न संसाधनों यथा– पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगजन समूह, कार्यपालक सहायक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, विकास मित्र, ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से प्रखंड स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, हिसुआ, (नवादा) अपने स्तर से सभी तकनीकी कर्मी को सभी प्रखंड में दिव्यांगजनों को ई–संवाद द्वारा हेलेन केलर जयन्ती के थीम के आलोक में जागरूक कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल सर्जन, नवादा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, नवादा अपने स्तर से विभिन्न संसाधनों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित करायेंगे।

जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से 140वीं हेलने केलर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 27.06.2020 को आयोजित उक्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी स्वयंसेवी संस्था/रेड क्रॉस सोसायटी, नवादा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने स्तर से दिव्यांगजनों को जागरूकता सुनिश्चित करायेंगे।

सभी संबंधित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः –विभागीय पत्र

प्रभारी सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
नवादा।

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक– /सा0सु0, नवादा, दिनांक

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधकारी, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, हिसुआ (नवादा), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सजर्न, नवादा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी स्वयंसेवी संस्था/रेड क्रॉस सोसायटी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
नवादा।

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

Scanned with CamScanner